



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 890 -काविनी एवं वे0प्र0 - 29 / पाकालि / 2018 - 84 - पी / 86

दिनांक 06 अगस्त, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप सं0-745-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/2010-84-पी/86 दिनांक 11.06.2010, सं0-1655-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/2010-84-पी/86 दिनांक 10.11.2010, सं0-901-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/2011-84-पी/86 दिनांक 01.10.2011 एवं सं0 101-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/2016-84-पी/86 दिनांक 04.02.2016 द्वारा शक्ति भवन (मुख्यालय) एवं शक्ति भवन विस्तार में तैनात सुरक्षा गार्ड/हेड गार्ड/अग्निशमन रक्षकों को उपरोक्त उल्लिखित कारपोरेशन आदेशों द्वारा रू0 600/-प्रतिमाह की दर से अनुमन्य कराया गया पौष्टिक आहार भत्ता को कारपोरेशन के निदेशक मण्डल की दिनांक 19.07.2018 को सम्पन्न 140(23) बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्वारा रू0 760/- प्रतिमाह की दर से अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त पौष्टिक आहार भत्ता की पुनरीक्षित दरें तत्काल प्रभाव, अर्थात् आदेश निर्गमन की तिथि से लागू होंगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या: 890-(1) काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
4. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जानपद-पारेषण-II), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. संयुक्त सचिव (स0प्र0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता (मु0), पारेषण-II, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा-प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत अनुरक्षण खण्ड, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई (पेंशन सेल), प्रथम तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. अनुसचिव (स0प्र0-लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. लेखा इकाई (वैतन एवं लेखा) केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 19.07.2018 को सम्पन्न 140(23) बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
- ✓ 14. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

भवदीय

(रकेश भट्ट)

अनु सचिव (काविनी)

39